न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 32/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 मंयक बोहरा पुत्र लक्ष्मीवल्लभ जाति श्रीमाली ब्राहमण निवासी ब्रह्मपुरी तहसील व जिला नागौर फर्मः– मैसर्स शिवम् एन्टरप्राईजेज, ब्रह्मपुरी तहसील व जिला नागौर (का गोदाम कुम्हारी दरवाजा के बाहर मानासर रोड नागौर) 2 बादल दवे पुत्र शरदचन्द निवासी 76/41, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर। (आधार कार्ड के अनुसार– भविष्य उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपाड सिटी जिला जोधपुर) फर्मः– मैसर्स सार्थक बेवरेजेज, प्लॉट नं. 7 एस.आर. इण्डस्ट्रीयल एरिया, खसरा नं. 1497 मैन जोधपुर रोड रिया तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर 3 दिनेश वैष्णव पुत्र शंकरलाल निवासी समदडियों का बास, वार्ड नं. 11 पीपाड सिटी, जिला जोधपुर फर्म– मैसर्स सार्थक बेवरेजेज, प्लॉट नं. 7 एस.आर. इण्डस्ट्रीयल एरिया, खसरा नं. 1497 मैन जोधपुर रोड रिया तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर 4 श्रीमाती सरोज पत्नी भगवानराम निवासी तिरूपति बालाजी मन्दिर के पीछे, शास्त्री नगर पीपाड सिटी, जिला जोधपुर फर्म– मैसर्स सार्थक बेवरेजेज, प्लॉट नं. 7 एस.आर. इण्डस्ट्रीयल एरिया, खसरा नं. 1497 मैन जोधपुर रोड रिया तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर 5 राकेश सोमानी पुत्र रामस्वरूप निवासी मण्डी का बास, पीपाड सिटी जिला जोधपुर। फर्म– मैसर्स सार्थक बेवरेजेज, प्लॉट नं. 7 एस.आर. इण्डस्ट्रीयल एरिया, खसरा नं. 1497 मैन जोधपुर रोड रिया तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर 6 फर्मः– मैसर्स सार्थक बेवरेजेज, प्लॉट नं. 7 एस.आर. इण्डस्ट्रीयल एरिया, खसरा नं. 1497 मैन जोधपुर रोड रिया तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर

<u>आदेश</u> दिनांक :10.02.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 16-06-2018 को मैसर्स शिव एन्टरप्राईजेज, ब्रह्मपुरी, जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (बोनजोर ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 992 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 442/एक्ट/2018/471 दिनांक 29.06.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (बोनजोर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण 1. मंयक बोहरा पुत्र लक्ष्मीवल्लभ जाति श्रीमाली ब्राहमण निवासी ब्रह्मपुरी तहसील व जिला नागौर 2. बादल दवे पुत्र शरदचन्द निवासी 76/41, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर 3 दिनेश वैष्णव पुत्र शंकरलाल निवासी समदडियों का बास, वार्ड नं. 11 पीपाड सिटी, जिला जोधपुर 4. श्रीमती सरोज पत्नी भगवानराम निवासी तिरूपति बालाजी मन्दिर के पीछे, शास्त्री नगर पीपाड सिटी, जिला जोधपुर 5 राकेश सोमानी पुत्र रामस्वरूप निवासी मण्डी का बास, पीपाड सिटी जिला जोधपुर तथा 6 फर्म– मैसर्स सार्थक बेवरेजेज, प्लॉट नं. 7 एस.आर. इण्डस्ट्रीयल एरिया, खसरा नं. 1497 मैन जोधपुर रोड रिया तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 19-11-18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 03.02.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी नं. 1 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (बोनजोर ब्राण्ड) का सैम्पल भरा जो मिसब्राण्ड होना पाया गया। मैं यह उत्पाद मैसर्स सार्थक बेवरेजेज, प्लॉट नं. 7 एस.आर. इण्डस्ट्रीयल एरिया, खसरा नं. 1497 मैन जोधपुर रोड रिया तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर से खरीद कर लाता हूँ। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूगां। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी नं. 2 से 6 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से जो माल उक्त प्रकरण में बताया गया है वो माल हमारी फर्म द्वारा बेचा गया जो मिसब्राण्ड होना पाया गया। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगें। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस 442/एक्ट/2018/471 दिनांक 29.06.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (बोनजोर ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1. मंयक बोहरा पुत्र लक्ष्मीवल्लभ जाति श्रीमाली ब्राहमण निवासी ब्रह्मउपुरी तहसील व जिला नागौर पर रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 2. बादल दवे पुत्र शरदचन्द निवासी 76/41, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर अप्रार्थी संख्या 3 दिनेश वैष्णव पुत्र शंकरलाल निवासी समदडियों का बास, वार्ड नं. 11 पीपाड सिटी, जिला जोधपुर अप्रार्थी संख्या 4. श्रीमती सरोज पत्नी भगवानराम निवासी तिरूपति बालाजी मन्दिर के पीछे, शास्त्री नगर पीपाड सिटी, जिला जोधपुर अप्रार्थी संख्या 5 राकेश सोमानी पुत्र रामस्वरूप निवासी मण्डी का बास, पीपाड सिटी जिला जोधपुर तथा अप्रार्थी संख्या 6 फर्म— मैसर्स सार्थक बेवरेजेज, प्लॉट नं. 7 एस.आर. इण्डस्ट्रीयल एरिया, खसरा नं. 1497 मैन जोधपुर रोड रिया तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर पर संयुक्त रूप से रूपये 40,000/— अक्षरे चालीस हजार रूपये कुल 50,000/— अक्षरे पचास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)